रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122020-223798
CG-DL-E-19122020-223798

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942
No. 639] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

Indiacode

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि 771(अ). — केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 (2020 का 14) की धारा 54 की उप-धारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ड.), (च), (छ), (ज), (झ), (ण) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन की रीति, उनका वेतन, भत्ते तथा सेवा की निबंधन एवं शर्तें और संपत्ति की घोषणा, व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्य) नियम, 2020 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएँ-** (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) अभिप्रेत है;

(ख) "धारा" से अधिनियम की कोई एक धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जो इनमे परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम मे है ।

3. धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) और (ग) के अधीन आयोग के अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति की रीति -

(1) उप धारा (4) की खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित आयोग के अंशकालिक सदस्यों को केंद्रीय सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(2) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) और (ग) के अधीन नियुक्त होने वाले आयोग के अंशकालिक सदस्यों को परिषद में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम निर्देशितियों में से लॉटरी द्वारा चुना जाएगा।

(3) लॉटरी का आयोजन दो श्रेणियों में ऐसी तारीख को किया जाएगा जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(4) लॉटरी का आयोजन समान आकार, रंग और डिजाइन वाली पर्चियों के साथ किया जाएगा जिन पर प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशियों के नाम अलग - अलग लिखे हों और जिन्हें मोड़कर रखा गया हो ताकि गोपनीयता बनी रहे।

(5) लॉटरी की पहली श्रेणी धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन परिषद के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्याशियों में से दस अंशकालिक सदस्यों के लिए आयोजित की जाएगी।

(6) लॉटरी की दूसरी श्रेणी धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन भारतीय चिकित्सा की राज्य चिकित्सा परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट भारतीय चिकित्सा पद्धति की संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्याशियों में से नौ अंशकालिक सदस्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

परंतु अधिकतम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयोजन से जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नामनिर्देशितयो को पहली श्रेणी के लिए आयोजित लॉटरी से चुना गया हो, दूसरी श्रेणी की लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, दो वर्षों के पहले कार्यकाल के बाद लॉट के प्रत्येक ड्रा को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा जो कि उप नियमों (5) और (6) में निर्दिष्ट दो श्रेणियों के लिए उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बहुत से प्रतिबंधित ड्रॉ द्वारा किया जाएगा, जो पिछले कार्यकाल के दौरान इस नियम के अनुसार आयोग के सदस्यों के चयन के लिए रखे गए बहुत से ड्रा में नहीं चुने गए थे |

(7) पर्चियों की कुल संख्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के तदनुरूप होगी यह विचार किए बिना कि क्या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का, क्रमशः धारा 11 की उप धारा (2) के खंड (ग) और (घ) के अधीन वैध नामांकन है अथवा नहीं।

(8) उप-नियम (5) और (6) में यथा उल्लिखित लॉटरी प्रक्रिया के दौरान एक बार में एक ही पर्ची तब तक निकाली जाती रहेगी जब तक कि दी गई श्रेणी में सभी सदस्यों का विनिश्चय नहीं हो जाता।

(9) जहां किसी एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र विशेष के लिए पर्ची निकाली जाती है जिसका संबंधित श्रेणी में कोई नामनिर्देशिती नहीं है, ऐसे में उस पर्ची को तब तक अलग रखा जाएगा जब तक कि उस श्रेणी विशेष के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी न हो जाए और दूसरी श्रेणी के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू होते ही उसे वापस रख दिया जाएगा।

(10) आयोग में किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक समय में एक से अधिक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा।

(11) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोव-रिग्पा और होम्योपैथी मंत्री की उपस्थिति में लॉटरी निकाली जाएगी।

(12) लॉटरी की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और लॉटरी से संबंधित सभी अभिलेख छह महीने की अवधि के लिए आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोव-रिग्पा और होम्योपैथी मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से सुलभ होंगे।

(13) लॉटरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन से मीडिया कर्मियों को आमंत्रित किया जाएगा।

(14) जहां लॉटरी के माध्यम से चयनित किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्याशी के कार्यकाल की अवधि किसी भी कारण से घटाकर दो वर्ष से कम की जाती है, केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र अथवा भारतीय चिकित्सा पद्धति की राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा जैसा भी मामला हो, नामनिर्देशन के आधार पर शेष अवधि के लिए उसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अन्य नामनिर्देशिती को नियुक्त करेगी।

(15) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से आयोग के सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए लॉटरी की प्रक्रिया लगातार दो वर्षों तक आयोजित की जाएगी।

4. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन खोजबीन समिति में एक विशेषज्ञ का नामनिर्देशन – (1) केंद्रीय सरकार दो वर्षों की अवधि के लिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति का एक भाग बनने के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति करेगी।

(2) धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त आयोग के अंशकालिक सदस्यों में से लॉटरी द्वारा उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विशेषज्ञ को चुना जाएगा।

(3) लॉटरी की प्रक्रिया धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रत्येक अंशकालिक सदस्य के अलग-अलग नामों वाली समान आकार, रंग और डिजाइन की कागज़ की पर्चियों के साथ आयोजित की जाएगी जिन्हें इस प्रकार से मोड़ा जाएगा कि गोपनीयता बनी रहे।

(4) इस नियम के अधीन लॉटरी की प्रक्रिया नियम 3 के उप-नियमों (11), (12), (13), (14) और (15) के अधीन विनिर्दिष्ट यथावश्यक परिवर्तनों सहित आयोजित की जाएगी।

5. आयोग के अध्यक्ष को देय वेतन और भत्ते - (1) आयोग के अध्यक्ष को देय वेतन, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -17 में भारत सरकार के सचिव के वेतन के बराबर (225000/- रूपए)होगा:

परंतु जहां आयोग का अध्यक्ष सरकारी, अर्ध-सरकारी अभिकरणों, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से सेवानिवृत्त व्यक्ति है ऐसे में उसे मिलने वाले वेतन के साथ देय पेंशन या सेवांत लाभों का पेंशन मूल्य अथवा दोनों आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होने चाहिए।

(2) यदि आयोग का अध्यक्ष केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में है, तो उसके वेतन और भत्ते उसके लिए लागू नियमों या उप-नियम (1) के अनुसार जो भी अधिक हो, विनियमित किए जाएंगे।

6. महंगाई भत्ता- (1) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, केंद्रीय सरकार में उनके समतुल्य स्तर के अधिकारियों के लिए अनुमेय दरों पर अपने वेतन के लिए उपयुक्त महंगाई भत्ते के हकदार होंगे।

(2) आयोग के पदेन सदस्यों का महंगाई भत्ता उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।

7. यात्रा भत्ता - (-1) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य को केंद्रीय सरकार में उनके समतुल्य स्तर के अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय वेतन के अनुरूप समुचित दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता आहरित करने का अधिकार होगा।

(2) आयोग के पदेन सदस्यों का यात्रा भत्ता उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों से संबंधित अपने बिलों के संबंध में स्व-नियंत्रण अधिकारी होगा।

IndiaCode

8. छुट्टी – आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे-

(क) समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अनुसार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यथा अनुज्ञेय अर्जित छुट्टी, अर्द्ध-वेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी; तथा

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अधीन अस्थायी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय असाधारण छुट्टी ।

9. छुट्टी मंजूरकर्ता प्राधिकारी – (1) केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी।

(2) आयोग के सचिव सहित प्रत्येक अन्य सदस्य की छुट्टी मंजूर करने के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी होगा।

10. अंशदायी भविष्य निधि - (1) जहाँ पर सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के अधीन सदस्यता का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, आयोग का अध्यक्ष अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के उपबधों द्वारा शासित होगा।

(2) आयोग का अध्यक्ष आयोग में दी गई अपनी सेवाओं के लिए अतिरिक्त पेंशन और ग्रेच्युटी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

11. बैठक फीस - आयोग के पदेन सदस्य और अंशकालिक सदस्य आयोग की बैठकों के लिए पांच हजार रुपये प्रतिदिन की दर से बैठक फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे।

12. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा आस्तियों, वृत्तिक और वाणिज्यिक कार्य अथवा आवेष्टन की घोषणा - (1) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य इस नियम के साथ संलग्न अनुसूची के प्ररूप 'क' में आस्तियों और देयताओं की विवरणी फाइल करेगा।

(2) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य अपनी पहली नियुक्ति पर और पदभार छोड़ने के समय उक्त अनुसूची के प्ररूप 'ख' में अपने वृत्तिक और वाणिज्यिक कार्यों अथवा आवेष्टन की घोषणा करेगा।

13. स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते - (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष का वेतन भारत सरकार के अपर सचिव के वेतन के बराबर वेतन मैट्रिक्स मे स्तर -15 (182200-224100/- रूपए) में होगा और प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतन के बराबर वेतन मैट्रिक्स ने स्तर -14 (144200-218200/- रूपए) में होगा:

परंतु जहां आयोग का अध्यक्ष सरकारी, अर्ध-सरकारी अभिकरणों, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से सेवानिवृत्त व्यक्ति है ऐसे में उसे मिलने वाले वेतन के साथ देय पेंशन अथवा सेवांत लाभों का पेंशन मूल्य अथवा दोनों आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होने चाहिए।

(2) यदि स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में है, तो उसके वेतन और भत्ते उस पर लागू नियमों या उप-नियम (1), जो भी अधिक हो, के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

14. महंगाई भत्ता:- प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय सरकार के समतुल्य स्तर के अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय दरों पर अपने वेतन के लिए समुचित महंगाई भत्ता पाने के हकदार होंगे।

15. यात्रा भत्ता: (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, केन्द्रीय सरकार में उनके समतुल्य स्तर के अधिकारियों को अनुज्ञेय उनके वेतन की समुचित दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे।

(2) स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्य यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों से संबंधित अपने बिलों के संबंध में अपने स्व:नियंत्रण अधिकारी होंगे।

IndiaCode

16. छुट्टी:- स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे:-

(क) समय-समय पर संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय अर्जित छुट्टी, अर्ध-वेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी; और

(ख) समय-समय पर संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार के अस्थाई कर्मचारियों के लिए असाधारण छुट्टी ।

17. छुट्टी मंजूरकर्ता प्राधिकारी:- (1) आयोग का अध्यक्ष स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्षों को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(2) संबंधित स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष को उस बोर्ड के प्रत्येक अन्य सदस्य को छुट्टी प्रदान करने का अधिकार होगा।

18. अंशदायी भविष्य निधि - (1) स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्य उस स्थिति में अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे जहां सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के अधीन अंशदान के लिए कोई विकल्प नहीं हैं।

(2) स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य स्वायत्त बोर्ड में उनके द्वारा प्रदत्त सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और ग्रेच्युटी के हकदार नहीं होंगे।

19. स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा आस्तियों, वृत्तिक और वाणिज्यिक कार्य अथवा आवेष्टन की घोषणा:- (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य इस नियम के साथ संलग्न अनुसूची के प्ररूप 'क' में आस्तियों और देयताओं की विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

(2) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपनी पहली नियुक्ति पर और पद छोड़ने के समय उक्त अनुसूची के प्ररूप 'ख' में अपने वृत्तिक और वाणिज्यिक कार्य अथवा आवेष्टन की घोषणा करेंगे।

20. आयोग का सचिव:- (1) आयोग के सचिव को देय वेतन भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतन मैट्रिक्स मे स्तर – 14 (144200-218200/- रूपए) के वेतन के समतुल्य होगा:-

परंतु जहां आयोग का सचिव सरकारी, अर्ध-सरकारी अभिकरणों, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से सेवानिवृत्त व्यक्ति है ऐसे में उसे मिलने वाले वेतन के साथ देय पेंशन अथवा सेवांत लाभों का पेंशन मूल्य अथवा दोनों आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होने चाहिए।

(2) आयोग के सचिव के पास निम्नलिखित अहर्ताएँ और अनुभव होंगे, अर्थात्: -

अनिवार्य:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री;

(ii) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी भी कानूनी निकाय या मान्यता प्राप्त संगठन या संस्था में वेतन-मैट्रिक्स मे स्तर -12 (78800-209200/- रूपए) में, या उसके समतुल्य या उससे ऊपर के स्तर पर अपनी संबंधित सेवा या वृति में कम से कम पन्द्रह वर्ष के अनुभव के साथ कम से कम दस वर्षों का प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त हो;

वांछनीय:

(iii) चिकित्सा अहर्ता रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

21. आयोग के सचिव की पदावधि:- आयोग का सचिव चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, जो भी पहले हो, पद छोड़ देगा।

IndiaCode

22. सचिव द्वारा आस्तियों, वृत्तिक और वाणिज्यिक कार्यों या आवेष्टन की घोषणा:- (1) आयोग का सचिव इस नियम के साथ संलग्न अनुसूची के प्ररूप 'क' में आस्तियों और देयताओं की विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) आयोग का सचिव अपनी पहली नियुक्ति पर और पद त्याग करते समय उक्त अनुसूची के प्ररूप 'ख' में अपने वृत्तिक और वाणिज्यिक कार्यों या आवेष्टन की भी घोषणा करेगा।

23. आयोग की अन्य शक्तियाँ और कृत्य:- धारा 10 में विनिर्दिष्ट आयोग की शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त, आयोग–

(क) देश में चिकित्सा शिक्षा की लागत को कम करने के लिए अध्ययन करेगा;

(ख) चिकित्सा शिक्षा की लागत को कम करने तथा इसे और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य के साथ-साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने, बुनियादी ढांचे का गहन उपयोग करने, संकाय साझा करने, वितरण अस्पतालों के रूप में वैश्विक पद्धतियों के सुझाव पर भी विचार करेगा; और

(ग) स्वायत्त बोर्डों के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की रीति विनिश्चित करेगा:

परंतु जहां किसी स्वायत्त बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध अपील फाइल की जाती है तो ऐसे स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष अपील की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा;

(घ) सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य पणधारियों जैसे भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा वृत्तिक संघ, रेजीडेंट चिकित्सक संघ और रोगी अधिकार निकायों जिनमें, आम जनता भी शामिल है, के साथ परामर्श करने के बाद इन विनियमों का प्रारूप तीस दिन की अवधि के लिए आयोग की वेबसाइट पर डालने के पश्चात तथा प्राप्त होने वाले आरोपों या सुझावों पर विचार करके विनियम तैयार करेगा;

(ङ) जब तक आयोग के लिए पद स्वीकृत नहीं हो जाते और उक्त पदों पर नियमित भर्ती नहीं हो जाती, तब तक अपनी आवश्यकतानुसार संविदा के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करना, जिनकी संख्या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम की वर्तमान स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

24. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों के नियोजन की समयपूर्व समाप्ति के लिए प्रतिकर:-(1) आयोग अपने गठन की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों के नियोजन की समय पूर्व समाप्ति पर विनिश्चय करेगा।

(2) तत्कालीन भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के जिन कर्मचारियों को आयोग द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन के लिए नहीं लिया जाता है, उन्हें नियोजन समाप्ति के समय तीन महीने के वेतन के बराबर अगिर्म धनराशि का भुगतान किया जाएगा जिसे कुल प्रतिकर पैकेज से काट लिया जाएगा।

अनूसूची

प्ररूप 'क'

[नियम 12(1), 19(1) और 22(1) देखें]

आस्तियों और देयताओं की घोषणा

क. अध्यक्ष/सदस्य/सचिव की आस्तियों और देयताएं

1. नाम *(बड़े अक्षरों में)*
2. पिता/पति का नाम

IndiaCode

3. स्थाई पता

4. वर्तमान पता

5. नियुक्ति/नामनिर्देशन की तारीख

I. अचल संपत्ति के ब्यौरे

(1) राज्य,जिला,उपमंडल (तहसील), गांव का नाम जहां संपत्ति स्थित है।

(2) संपत्ति का ब्यौरा

(क) घर एवं भवन और उनका वर्तमान मूल्य

(ख) भूमि और उनका वर्तमान मूल्य

(3) स्वामित्व के रूप में धारित है या हिताधिकारी के रूप में

(4) संयुक्तरूप से धारित है या पृथक रूप से, यदि संपत्ति अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से धारित है तो संपत्ति का धारित हिस्सा

(5) यदि संपत्ति सदस्य के अपने नाम पर धारित नहीं है तो बताएं किसके नाम से धारित है और सदस्य के साथ उसकी नातेदारी है।

(6) संपत्ति कैसे अर्जित की गई

(क्रय कर, पट्टे पर, बंधक से, उत्तराधिकारी में, दान में या अन्यथा। किस तारीख को अर्जित की और जिस व्यक्ति से अर्जित की उसका नाम)

(7) कोई अन्य सुसंगत सूचना जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहता है।

II. चल संपत्ति का विवरण

(1) संपत्ति का विवरण*(अर्थात कार/मोटर साइकिल/आभूषण/ बैंकों/स्टॉक मार्किट/कंपनियों/ वित्तीय संस्थानों/बीमा पालिसियों आदि में विनिधान)*

IndiaCode

(2) नमूना, मॉडल (वाहनों के मामले में रजिस्ट्रीकरण संख्या भी) जहां आवश्यक हो

(3) अर्जन का ढंग

(क्रय/दान/बंधकित पट्टा अथवा अन्यथा)

(4) संपत्ति का क्रय मूल्य

(5) क्रय के मामले में स्रोत अथवा वित्त पोषण का स्रोत

(a) निजी बचत से

(b) अन्य स्रोतों से

(6) कोई अन्य सुसंगत जानकारी जिसे सदस्य प्रस्तुत करना चाहता हो।

III. लोक वित्त संस्थाओं/केंद्रीय सरकार और

राज्य सरकार के प्रति सदस्य की देयताओं का विवरण

(1) बैंकों/कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं /केंद्रीय/राज्य सरकारों से लिए गए ऋण का विवरण

(2) प्रत्येक मामले में लिए गए ऋण की रकम

(3) प्रत्येक मामले में कितनी अवधि के लिए ऋण लिया गया है।

ख. पति या पत्नी द्वारा धारित चल और अचल संपत्तियों से संबंधित सूचना

1. पति अथवा पत्नी का नाम (बड़े अक्षरों में)

2. पिता/पति का नाम

3. स्थायी पता

4. वर्तमान पता

I. अचल संपत्ति का विवरण

(1) राज्य, जिला, उप-मंडल और गांव का नाम जहाँ संपत्ति स्थित है।

(2) संपत्ति का विवरण

(a) मकान और भवन तथा उनका वर्तमान मूल्य

(b) भूमि और उसका वर्तमान मूल्य

(3) क्या संपत्ति के स्वामी हैं अथवा हिताधिकारी

(4) क्या संपत्ति संयुक्त रूप से धारित है

या व्यक्तिगत रूप से।

IndiaCode

यदि किसी सदस्य के साथ संयुक्त रूप
से धारित है तो धारित संपत्ति का हिस्सा
कितना है

(5) यदि संपत्ति पति/पत्नी के अपने नाम
नहीं है तो किसके नाम है और पति/पत्नी
के साथ उनकी नातेदारी क्या है

(6) कैसे अर्जित की गई

(क्या क्रय से, पट्टे पर, बंधक पर, उत्तराधिकार से, दान से अथवा अन्यथा, अर्जन की तारीख सहित उस व्यक्ति का नाम जिससे अर्जित की गई)

(7) कोई अन्य सुसंगत जानकारी जिसे
सदस्य उल्लखित करना चाहता हो

II. चल संपत्ति का विवरण

(1) संपत्ति का
विवरण*(अर्थातकार/मोटर साइकिल/आभूषण/ बैंकों/स्टॉक मार्किट/कंपनियों/ वित्तीय संस्थानों/बीमा पालिसियों आदि में विनिधान)*

(2) नमूना, मॉडल (वाहनों के मामले में
रजिस्ट्रीकरण संख्या भी) जहां आवश्यक
हो

(3) अर्जन का प्रकार

*(*क्रय/दान/बंधकित पट्टा अथवा अन्यथा*)*

(4) संपत्ति का क्रय मूल्य

(5) क्रय के मामले में, स्रोत अथवा वित्त
पोषण का स्रोत

(क) निजी बचत से

(ख) अन्य स्रोतों से

(6) क्या संपत्ति के स्वामी हैं अथवा
हिताधिकारी

(7) क्या संयुक्त रूप से अथवा व्यक्तिगत
रूप से धारित है

(8) कोई अन्य सुसंगत सूचना जिसे
सदस्य प्रस्तुत करना चाहता हो

(ग) आश्रित बालकों द्वारा धारित चल और अचल संपत्तियों से संबंधित सूचना

IndiaCode

1. आश्रित बालकों के नाम (बड़े अक्षरों में)

2. पिता/पति का नाम

3. स्थायी पता

4. वर्तमान पता

I. अचल संपत्ति का विवरण

(1) राज्य, जिला, उप-मंडल और गांव का नाम जहाँ संपत्ति स्थित है

(2) संपत्ति का विवरण

(क) मकान और भवन तथा उनका वर्तमान मूल्य

(ख) भूमि और उसका वर्तमान मूल्य

(3) क्या संपत्ति के स्वामी हैं अथवा हिताधिकारी

(4) क्या संपत्ति संयुक्त रूप से धारित है

या व्यक्तिगत रूप से।

यदि किसी सदस्य के साथ संयुक्त रूप

से धारित है तो धारित संपत्ति

का हिस्सा कितना है

(5) यदि संपत्ति बालक के अपने नाम नहीं है

तो किसके नाम है और बालक के साथ

उनकी नातेदारी क्या है

(6) कैसे अर्जित की गई

(क्या क्रय से, पट्टे पर, बंधक पर, उत्तराधिकार से, दान से अथवा अन्यथा, अर्जन की तारीख सहित उस व्यक्ति का नाम जिससे अर्जित की गई).

(7) कोई अन्य सुसंगत सूचना जिसे सदस्य उल्लिखित करना चाहता हो

II. चल संपत्ति का विवरण

(1) संपत्ति का विवरण *(अर्थातकार/मोटर साइकिल/आभूषण/ बैंकों/स्टॉक मार्किट/कंपनियों/ वित्तीय संस्थाओं/बीमा पालिसियों आदि में विनिधान)*

(2) नमूना, मॉडल (वाहनों के मामले में रजिस्ट्रीकरण संख्या भी) जहां आवश्यक

IndiaCode

हो

(3) अर्जन का प्रकार

(क्रय/दान/बंधकित पट्टा अथवा अन्यथा)

(4) संपत्ति का क्रय मूल्य

(5) क्रय के मामले में स्रोत अथवा वित्त पोषण का स्रोत

(क) निजी बचत से

(ख) अन्य स्रोतों से

(6) क्या संपत्ति के स्वामी हैं अथवा हिताधिकारी

(7) क्या संपत्ति संयुक्त रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से धारित है

(8) कोई अन्य सुसंगत जानकारी जिसे सदस्य प्रस्तुत करना चाहता हो

IndiaCode

घोषणा

मैं,_____ घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

ऊपर दी गई सूचना में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में उसकी सूचना देने का मैं वचन देता हूँ/देती हूँ।

भवदीय,

तारीख:

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररुप 'ख'

[नियम 12(2), 19(2) और 22(2)देखें]

प्रथम नियुक्ति और पद त्याग करते समय वृत्तिक तथा वाणिज्यिक कार्यों अथवा आवेष्टन का ब्यौरा

क्रम. सं.	नातेदारी	नाम	घोषणा की तारीख से गत तीन वर्षों में धारित वृत्तिक पद, यदि कोई हो	घोषणा की तारीख से गत तीन वर्षों में धारित वाणिज्यिक कार्य/_आवेष्टन, यदि कोई हो
1	स्वयं			
2	पति/पत्नी			
3	आश्रित-1			
4	आश्रित-2			
5.*	आश्रित-3			

* यदि आवश्यक हो तो और पंक्तियां जोड़े।

तारीख:

[सं.वाई.18011/3/2020-ईपी.(III)]

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पी.एन. रण्जीत कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2020

G.S.R. 771 (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (o) and (p) of sub-section (2) of section 54 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Commission for Indian System of Medicine (Manner of Appointment and Nomination of Members, Their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context other wise requires,—

(a) "Act" means the National Commission for Indian system of Medicine Act, 2020 (14 of 2020);

(b) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

IndiaCode

3. Manner of appointment of part-time Members of Commission under clauses (b) and (c) of sub-section (4) of section 4.— (1) The part-time Members of the Commission referred to in clauses (b) and (c) of sub-section (4) shall be appointed by the Central Government for a period of two years.

(2) The part-time Members of the Commission to be appointed under clauses (b) and (c) of sub-section (4) of section 4 shall be selected by draw of lots from the nominees of the States and Union territories in the Council.

(3) The draw of lots shall be conducted in two categories on such date as may be decided by the Central Government.

(4) The draw of lots shall be conducted with paper slips of uniform size, colour and design bearing individual names of each State and Union territory, which shall be folded in such manner so as to preserve the confidentiality.

(5) The first category of the draw of lots shall be conducted for ten part-time Members from the nominees of the States and Union territories amongst the Members of the Council, nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 11.

(6) The second category of the draw of lots shall be conducted for nine part-time Members from the nominees of States and Union territories by the respective State Medical Council of Indian System of Medicine amongst the elected Members of the State Medical Council of Indian Medicine, nominated under clause (d) of sub-section (2) of section 11:

Provided that for the purposes of ensuring representation of maximum States and Union territories, the States and Union territories whose nominees were selected from the draw of lots held for the first category shall be excluded in the draw of lots to be held for the second category. Further, every draw of lots subsequent to the first term of two years shall be conducted in two stages first by restricted draw of lots for the two categories referred to in sub-rules (5) and (6) to be drawn among those States and Union territories, which were not selected in the draw of lots held for selection of the Members of the Commission in accordance with this rule during the previous term.

(7) The total number of paper slips shall correspond to the total number of States and Union territories, irrespective of whether a State or Union territory has valid nomination under clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 11, respectively.

(8) During the draw of lots as mentioned in sub-rules (5) and (6), one paper slip shall be picked up at a time till all Members are decided in a given category.

(9) Where a paper slip is picked up for a State or Union territory, which does not have a nominee in the respective category, the paper slip shall be kept aside till the draw of lots for the particular category is completed and it shall be put back when the draw of lots for the second category commences.

(10) No State or Union territory shall be represented by more than one nominee in the Commission at a time.

(11) The draw of lots shall be conducted in the presence of the Minister of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sowarigpa and Homoeopathy.

(12) The video recording of the entire process of draw of lots shall be made and all records relating to the draw of lots shall be kept for a period of six months on the website of the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sowarigpa and Homoeopathy for public access.

(13) For the purpose of maintaining transparency during the process of draw of lots, media personnel shall be invited.

(14) Where the term of a nominee of a State or Union territory selected through draw of lots is reduced for any reason to less than two years, the Central Government shall appoint other nominee of the same State or Union territory for the remaining period on the basis of nomination by the concerned State or Union territory or the State Medical Council of Indian System of Medicine, as the case maybe.

(15) The draw of lots to nominate Members of the Commission from among the nominees from the States and Union territories shall be conducted every consecutive two years.

4. Nomination of an expert under clause (c) of sub-section (1) of section 5 for Search Committee for appointment of Chairperson and Members of Commission.—(1) The Central Government shall appoint an expert to form part of the Search Committee for appointment of Chairperson and Members of the Commission for a period of two years.

(2) The expert referred to in sub-rule (1) shall be selected by draw of lots from amongst the part-time Members of the Commission appointed under clause (c) of sub-section (4) of section 4.

(3) The draw of lots shall be conducted with the paper slips of uniform size, colour and design bearing individual names of each part-time Member of the Commission appointed under clause (c) of sub-section (4) of section 4, which shall be folded in such manner so as to preserve the confidentiality.

(4) The draw of lots under this rule shall be conducted following the procedure, *mutatis mutandis,* as specified under sub-rules (11), (12), (13), (14) and (15) of rule 3.

5. Salaries and allowances payable to Chairperson of Commission.—(1) The salary payable to the Chairperson of the Commission shall be equivalent to the salary of the Secretary to the Government of India in Level-17 in the pay matrix (Rs.225000/-):

Provided that where the Chairperson of the Commission is a retired person from Government, semi-Government agencies, public sector undertakings or recognised research institutions, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by him shall not exceed the last pay drawn.

(2) If the Chairperson of the Commission is in service of the Central Government or a State Government, his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to him or sub-rule (1), whichever is higher.

6. Dearness allowance.—(1) The Chairperson and every other Member of the Commission, shall be entitled for dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to officers of equivalent level in the Central Government.

(2) The dearness allowance of *ex-officio* Members of the Commission shall be borne by their parent Ministry or Department or organisation.

7. Travelling allowance.— (1) The Chairperson and every other Member of the Commission shall be entitled to draw travelling allowances and daily allowances at the rates appropriate to their pay admissible to officers of equivalent level in the Central Government.

(2) The travelling allowance of *ex-officio* Members of the Commission shall be borne by their parent Ministry or Department or organisation.

(3) The Chairperson and every Member of the Commission shall be his own controlling officer in respect of his bills relating to travelling allowances and daily allowances.

8. Leave.—The Chairperson and every other Member of the Commission shall be entitled to—

(a) earned leave, half pay leave and commuted leave as admissible to Central Government servants in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time; and

(b) extraordinary leave as admissible to the temporary Central Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time.

9. Leave sanctioning authority.—(1) The Central Government shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

(2) The Chairperson shall be the authority to sanction leave to every other Member of the Commission including its Secretary.

10. Contributory Provident Fund.—(1) The Chairperson of the Commission shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 where no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 is available.

(2) The Chairperson of the Commission shall not be entitled to additional pension and gratuity for the service rendered by him in the Commission.

11. Sitting fee.—The *ex-officio* Members and part-time Members of the Commission shall be entitled to a sitting fee of five thousand rupees for each day of sitting of the Commission.

12. Declaration of assets, professional and commercial engagement or involvement by Chairperson and Members of Commission.—(1) The Chairperson and every other Member of the Commission shall file return of assets and liabilities in Form A of the Schedule annexed to these rules.

(2) The Chairperson and every other Member of the Commission shall also declare their professional and commercial engagement or involvement on their first appointment and at the time of demitting office in Form B of the said Schedule.

13. Salaries and allowances payable to President and Members of Autonomous Boards.— (1) The salary of the President of each Autonomous Board shall be equivalent to the salary of the Additional Secretary to the Government of India in Level-15 in the pay matrix (Rs.182200-224100/-) and of Members of each Autonomous Board shall be equivalent to the salary of the Joint Secretary to the Government of India in Level-14 in the pay matrix (Rs.144200-218200/-):

Provided that where the President or a Member of an Autonomous Board is a retired person from Government, semi-Government agencies, public sector undertakings or recognised research institutions, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by him shall not exceed the last pay drawn.

(2) If the President or Member of an Autonomous Board is in service of the Central Government or a State Government, his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to him or sub-rule (1), whichever is higher.

14. Dearness allowance.— The President and Members of each Autonomous Board shall be entitled for dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to officers of the equivalent level of the Central Government.

15. Travelling allowance.— (1) The President and every other Member of each Autonomous Board shall be entitled to draw travelling allowances and daily allowances at the rates appropriate to their pay admissible to officers of the equivalent level of the Central Government.

(2) The President and Member of the Autonomous Boards shall be their own controlling officer in respect of their bills relating to travelling allowances and daily allowances.

16. Leave.—The President and Members of the Autonomous Boards shall be entitled to—

(a) earned leave, half pay leave and commuted leave as admissible to Central Government servants in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time; and

(b) extraordinary leave as admissible to the temporary Central Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time.

17. Leave sanctioning authority.— (1) The Chairperson of the Commission shall be the authority competent to sanction leave to the Presidents of the Autonomous Boards.

(2)The President of the respective Autonomous Board shall be the authority to sanction leave to every other Member of that Board.

18. Contributory Provident Fund.— (1) The President and Members of the Autonomous Boards shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 where no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 is available.

(2) The President and Members of the Autonomous Boards shall not be entitled to additional pension and gratuity for the service rendered by them in an Autonomous Board.

19. Declaration of assets, professional and commercial engagement or involvement by President and Members of Autonomous Boards.—(1)The President and every Member of every Autonomous Board shall file return of assets and liabilities in the Form A of the Schedule annexed to these rules.

(2) The President and every Member of each Autonomous Board shall also declare their professional and commercial engagement or involvement on their first appointment and at the time of demitting office in Form B of the said Schedule.

20. Secretary of Commission.—(1) The salary payable to the Secretary of the Commission shall be equivalent to the salary of the Joint Secretary to the Government of India in Level-14 in the pay matrix (Rs.144200-218200/-):

Provided that where the Secretary to the Commission is a retired person from Government, semi-Government agencies, public sector undertakings or recognised research institutions, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by him shall not exceed the last pay drawn.

(2) The Secretary of the Commission shall possess the following qualifications and experience, namely:—

Essential:

(i) post-graduate degree in any discipline from a recognised University;

(ii) having experience in the Central Government or a State Government or any statutory body or recognised organisation or institution of not less than fifteen years in his related service or profession in Level 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200/-) or equivalent thereto or above along with administrative experience of not less than ten years;

Desirable:

(iii) preference may be given to persons having medical qualification.

21. Term of office of Secretary of Commission.—The Secretary of the Commission shall hold office for a term of four years and shall cease to hold office after attaining the age of seventy years, whichever is earlier.

22. Declaration of assets, professional and commercial engagement or involvement by Secretary.—(1) The Secretary of the Commission shall file return of assets and liabilities in the Form A of the Schedule annexed to these rules.

(2) The Secretary of the Commission shall also declare his professional and commercial engagement or involvement on his first appointment and at the time of demitting office in Form B of the said Schedule.

23. Other powers and functions of Commission.—In addition to the powers and functions of the Commission specified in section 10, the Commission shall—

(a) undertake study to reduce the cost of medical education in the country;

(b) consider to suggest, among others, adoption of modern technology, intensive use of infrastructure, faculty sharing, global practices as distributed hospitals with a view to reducing the cost of medical education and making it more accessible; and

(c) decide the manner of hearing appeals against the decisions of Autonomous Boards:

Provided that where an appeal is filed against the decision of an Autonomous Board, the President of such Autonomous Board shall not participate in the appeal proceedings;

(d) make regulations after consulting all State Governments, Union territory Administrations and other stake holders, such as, association of medical professionals of Indian System of Medicine, association of resident doctors and patient rights bodies including general public by placing the draft regulations on the website of the Commission for a period of thirty days and considering the objections or suggestions as may be received;

(e) recruit employees on contract basis as per its requirement, not exceeding the present sanctioned strength of the Central Council of Indian Medicine, until the posts are sanctioned for the Commission and regular recruitment for the said posts takes place.

24. Compensation for premature termination of employment of employees of Central Council of Indian Medicine.— (1) The Commission shall decide on the premature termination compensation of the employees of the erstwhile Central Council of Indian Medicine within a period of three months from the date of constitution of the Commission.

(3) The employees of erstwhile Central Council of Indian Medicine, who are not taken for employment on contract basis by the Commission, shall be paid an advance amount of equivalent to three months' salary at the time of termination, which shall be deducted from the total compensation package.

SCHEDULE

Form A

[*See* rule 12(1), 19(1) and 22(1)]

DECLARATION OF ASSETS AND LIABILITIES

A. ASSETS AND LIABILITIESOFCHAIRPERSON/MEMBER/SECRETARY

1. Name *(in block letters)*
2. Father's/Husband's name
3. Permanent address
4. Present address
5. Date of appointment/nomination

I. Details of immovable property

(1) Name of the State, District, Sub- division and village in which property is situated.

(2) Details of property

(a) House and buildings and their present value

(b) Lands and their present value

(3) Whether held as owner or beneficiary

(4) Whether held jointly or severally. If property held jointly with another person share of property held

(5) If not held in Member's own name, state in whose name held and his/her relationship with the Member

(6) How acquired

(whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name of person from whom acquired)

(7) Any other relevant information which the Member may like to mention

II. Details of movable property

(1) Description of the property *(i.e. car/motorcycle/jewellery/ investments in banks/stock markets/companies/financial institutions/insurance policies,etc.)*

(2) Make, model (and also registration number in case of vehicles) where necessary

(3) Mode of acquisition

(purchase/gift/mortgage lease or otherwise)

(4) Purchase price of the property

(5) In case of purchase, source or sources from which financed

(a) Personal savings

(b) Other sources

(6) Any other relevant information which the member may like to furnish

III. Details of Liabilities of the Member to public Financial Institutions/ Central Government and State Government

(1) Details of loans raised from Banks/

IndiaCode

Companies/Financial Institutions/Central/ State Governments

(2) Amount of loans raised in each case

(3) The period for which these loans were raised in each case.

B. INFORMATION REGARDING IMMOVABLE AND MOVABLE PROPERTIES HELD BY SPOUSE

1. Name of the spouse

(in block letters)

2. Father's/Husband's name

3. Permanent Address

4. Present Address

I. Details of immovable property

(1) Name of State, District, Sub-division and village in which property is situated

(2) Details of property

(a) House and buildings and their present value

(b) Lands and their present value

(3) Whether held as owner or beneficiary

(4) Whether held jointly or severally.

If property held jointly with Member, share of property held

(5) If not held in spouse's own name, state

in whose name held and his/her relationship with the spouse

(6) How acquired

(whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name of person from whom acquired).

(7) Any other relevant information which the member may like to mention

II. Details of movable property

(1) Description of the property

(i.e. car/motorcycle/jewellery/investments in banks/stock markets/companies/

financial institutions/insurance policies, etc.)

(2) Make, model (and also registration number in case of vehicles) where necessary

(3) Mode of acquisition

(purchase/gift/mortgage lease or otherwise)

IndiaCode

(4) Purchase price of the property

(5) In case of purchase, source or sources or sources from which financed

(a) Personal savings

(b) Other sources

(6) Whether held as owner or beneficiary

(7) Whether held jointly or severally

(8) Any other relevant information which the Member may like to furnish

C. INFORMATION REGARDING IMMOVABLE AND MOVABLE PROPERTIES HELD BY DEPENDENT CHILDREN

1. Name of the dependent children

(in block letters)

2. Father's/Husband's name

3. Permanent Address

4. Present Address

I. Details of immovable property

(1) Name of State, District, Sub-division and village in which property situated

(2) Details of property

(a) House and buildings and their present value

(b) Lands and their present value

(3) Whether held as owner or beneficiary

(4) Whether held jointly or severally. If property held jointly with Member, share of property held

(5) If not held in the child's own name, state in whose name held and his/her relationship with the child

(6) How acquired

(whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name of person from whom acquired)

(7) Any other relevant information which the Member may like to mention

I. Details of movable property

(1) Description of property

(i.e. car/motorcycle/jewellery/ investments in banks/stock markets/ companies/financial institutions/ insurance policies, etc.)

(2) Make, model (and also registration number in case of vehicles) where necessary

IndiaCode

(3) Mode of acquisition *(purchase/gift/mortgage /lease or otherwise)*

(4) Purchase price of the property

(5) In case of purchase, source or sources from which financed

1. Personal savings
2. Other sources

(6) Whether held as owner or beneficiary

(7) Whether held jointly or severally

(8) Any other relevant information which the member may like to furnish

DECLARATION

I,_____hereby declare that the information given above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

In the event of any change in the information given above, I undertake to intimate the same.

Yours faithfully,

Date: Signature/thumb impression

IndiaCode

Form B

[*See* rule 12(2), 19(2) and 22(2)]

Statement of professional and commercial engagements or involvement on first appointment and at the time of demitting office

Sl.No	Relation	Name	Professional position held in last three years from the date of declarations, if any	Commercial engagements/involvement held in last three years from the date of declarations, if any
1	Self			
2	Spouse			
3	Dependent-1			

4	Dependent-2			
5.*	Dependent-3			

* Add more rows, if necessary.

Date:

[No.Y-18011/03/2020-EP-III]

Signature/thumb impression

P. N. RANJIT KUMAR, Jt .Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.19 16:26:21 +05'30'